वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 10.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला,ज्ञानशिखा टाइम्स, आज,जनवार्ता,यूनाइटेड भारत, न्यायाधीश,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 10.10.2025

व्यावसायिक अवैध निर्माण कराया बंद

वाराणसी। वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने जोन-4 (वार्ड-नगवा) के एसएम प्लॉट संख्या-892, मौजा-डाफी, परगना-देहात अमानत का निरीक्षण किया। हिमांशु राय की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। वीडीए से तीन तल का व्यावसायिक सह आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराया था। चारों तरफ सेटबैक को कवर कर व्यावसायिक / होटल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जिसे बंद कराते हुए सील किया गया है। ब्यूरो

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 10.10.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने किया निरीक्षण

वाराणसी । विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा

जोन–4 (वार्ड–नगवा) के अर्न्तगत एसएम प्लॉट संख्या–892, मौजा–डाफी, परगना–देहात अमानत, जिला–वाराणसी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जोन–4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं प्रवर्तन टीम के कार्मिक आदि उपस्थित थे। क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान श्री हिमांशु राय पुत्र श्री महेन्द्र नाथ राय द्वारा एस.एम. प्लॉट संख्या–892, मौजा–डाफी, परगना–देहात अमानत, जिला–वाराणसी पर प्राधिकरण से बी+जी+3 तलों का व्यावसायिक सह आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत चारों तरफ सेटबैक को कवर करते हुए बी+जी+4 तलों का व्यावसायिक / होटल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे मौके पर ही बन्द कराते हुए सील की कार्यवाही करायी गयी।उक्त के परिप्रेक्ष्य में जोन–4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं प्रवर्तन टीम के कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त आवंटित क्षेत्र में हो रहे अनाधिकृत गतिमान निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाते हुए नियमानुसार जाँच कर अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 10.10.2025

मानचित्र के विपरित निर्माण कार्य हुआ सील

विकास प्राधिकरण के सचिव डाक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने गुरूवार को नगवा जोन में मौजा डाफी के प्लाट संख्या-८९२ का औचक निरीक्षण किया। इस निर्माण कार्य में हिमांशु राय नामक भवन स्वामी ने विकृत मानचित्र के विपरित लगभग चार तलों का होटल निर्माण कार्य कर रहे थे। जबकि उन्होने विप्रा से आवासीय निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की थी। मौके पर पहुचे जोनल अधिकारी संजीव कुमार और क्षेत्रिय सुपरवाइजर के अलावा प्रवर्तन दल की टीम ने भवन को सील कर दिया। सील करने के बाद संबंधीत थाने की अभीरक्षा में इसे सौप दिया गया। इस बीच विप्रा सचिव ने मामले का जांच करने का निर्देश दिया है।

जनवार्ता–दि0 10.10.2025

स्वीकृत मानचित्र के विपरीत हो रहे निर्माण पर भवन सील

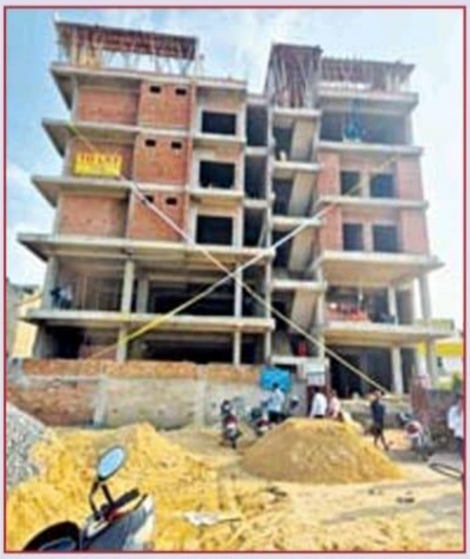

वाराणसी (जनवार्ता)। विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने जोन-4 (वार्ड-नगवा) के अंतर्गत मौजा डाफी स्थित एस.एम. प्लॉट संख्या-892 का गुरुवार को निरीक्षण किया। जिसमें जांच में पाया कि हिमांशु राय पुत्र महेन्द्र नाथ राय ने प्राधिकरण से बी+जी+3 तलों का व्यावसायिक सह आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत चारों ओर सेटबैक कवर करते हुए बी+जी+4 तलों का व्यावसायिक/होटल निर्माण कराया जा रहा था। इस अनियमित निर्माण को मौके पर ही बंद कराते हुए भवन को सील कर दिया गया। जहाँ सचिव डॉ. मिश्रा ने जोन-4 के अधिकारियों और प्रवर्तन टीम को निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रहे अन्य अनाधिकृत निर्माण कार्यों पर भी प्रभावी रोक लगाते हुए नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं प्रवर्तन टीम शामिल रही।

न्यायाधीश –दि0 10.10.2025

वाविप्रा सचिव द्वारा जोन-4 किया गया निरीक्षण

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-4 (वार्ड-नगवा) के अन्तर्गत एसएम प्लॉट संख्या-892, मौजा-डाफी, परगना-देहात अमानत, जिला-वाराणसी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जोन-4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं प्रवर्तन टीम के कार्मिक आदि उपस्थित थे। क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान श्री हिमांशु राय पुत्र श्री महेन्द्र नाथ राय द्वारा एस.एम. प्लॉट संख्या-892, मौजा-डाफी, परगना-देहात अमानत, जिला-वाराणसी पर प्राधिकरण से बी॰जी॰3 तलों का व्यावसायिक सह आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत चारों तरफ सेटबैक को कवर करते हुए बी॰जी॰4 तलों का व्यावसायिक / होटल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे मौके पर ही बन्द कराते हुए सील की कार्यवाही करायी गयी।उक्त के परिप्रेक्ष्य में जोन-4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं प्रवर्तन टीम के कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त आवंटित क्षेत्र में हो रहे अनाधिकृत गतिमान निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाते हुए नियमानुसार जाँच कर अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

न्यायाधीश –दि0 10.10.2025

प्राधिकरण द्वारा आईटीसी वेलकम लक्ज़री पाँच सितारा होटल मानचित्र को मिली स्वीकृति

सारनाथ में विकसित होगा आधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च श्रेणी का होटल प्रोजेक्ट

वाराणसी । सूर्या लक्जरी एंड हास्पिटेलिटी लिमिटेड निदेशक द्वारा घ्ऊण`त्म्दसङ ग्रुप के संयुक्त रूप से भू खण्ड संख्या-191/2, मौजा गंज, परगना-शिवपुर, तहसील-राजातालाब, वाराणसी स्थित भूमि पर पाँच सितारा लक्ज़री होटल परियोजना का मानचित्र वाराणसी विकास प्राधिकरण में आवेदित किया गया था, जिसे मानचित्र अनुभाग द्वारा विभिन्न विभागों की अनापत्तियाँ एवं तकनीकी परीक्षण पूर्ण कर ङमात्र 05 दिन में अनुमोदन प्रदान किया गया।इस पाँच सितारा लक्ज़री होटल परियोजना में 4404 वर्गमीटर भूमि पर 38.31 मीटर ऊँचाई वाले भवनङ का निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित होटल में ङडबल बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एवं 09 मंजिल की संरचनाङ का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित होटल में ङलोअर बेसमेंट व अपर बेसमेंट में पार्किंग, भूतल पर पार्किंग एवं मल्टीपर्पज हाल, प्रथम तल पर हाल, द्वितीय तल पर काफी शाप, किड्स एरिया व हाल, तृतीय तल पर होटल आफिस व मुख्य किचन, चतुर्थ तल से आठवें तल तक प्रत्येक तल पर 24 कुल 120 कमरों तथा नौवें तल पर स्पा, बार व इन्फ़िनिटि स्वीमिंग पूल का प्राविधानङ किया गया है। भवन में 151 ई.सी.एस. कार पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित है। परियोजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फायर सेफ्टी प्रावधान, प्रदूषण नियंत्रण स्वीकृति एवं ऊर्जा संरक्षण हेतु फोटोवोल्टाइक सेल की व्यवस्था की जा रही है।भवन की ऊँचाई एवं संरचना संबंधित मानक उपविधियों के अनुरूप है। प्रस्तावित परियोजना हेतु नगर निगम, विद्युत विभाग, फायर विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग से आवश्यक अनापत्तियाँ एवं स्वीकृतियाँ प्राप्त की जा चुकी है।परियोजना के स्वीकृत मानचित्र में–फ्लोर स्पेस इंडेक्स (इ.ए.द.): अनुमन्य 2.50 के सापेक्ष प्रस्तावित 2.47 सेटबैक: अग्र भाग 12.4 मीटर, पश्च भाग 10 मीटर, पार्श्व भाग 10 मीटर सड़क की चौड़ाई: 30 मीटर फायर एवं प्रदूषण स्वीकृति की वैधता: 01.12.2028 तक इस परियोजना से शहर के महत्वपूर्ण पर्यटक क्षेत्र सारनाथ में आधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च श्रेणी का होटल प्रोजेक्ट विकसित होगा जिससे क्षेत्र में आधुनिक होटल सुविधाओं का विकास होगा एवं पर्यटन, रोजगार एवं नगरीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

यूनाइटेड भारत –दि0 10.10.2025

वाराणसी रोपवे के सर्कुलेशन मोबिलिटी प्लान पर वीडीए में चर्चा

वाराणसी। वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में विकासशील रोप-वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में रोप वे स्टेशनों पर सर्कुलेशन प्लान, पार्किंग, फीडर बस चलाये जाने इत्यादि विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की गयी। बैठक में परियोजना निदेशक, एनएचएलएम एल द्वारा 'रोप वे के प्रत्येक स्टेशन के ड्राप एवं पिकअप जोन हेतु चिन्हित स्थल,तथा वेहिकुलर (गाड़ियों) तथा मेन (यात्रियों) के संचालन का विस्तृत प्लान प्रस्तुत' किया गया, प्लान के विषय में विस्तृत चर्चा के पश्चात निर्देशित किया गया कि प्रत्येक स्टेशन के ड्राप एवं पिकअप जोन हेतु चिन्हित जगह हेतु भू-आवश्यकताओं को चिन्हित करेते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जाये। रोप वे स्टेशन पर 'पार्किंग हेतु समस्त रोप वे स्टेशन के पास स्थल चिन्हित किए जायें तथा समस्त पार्किंग स्थलों को ले आउट में एरिया सहित डिमार्केशन करते हुये अग्रेतर कार्यवाही' की जाये। बैठक में 'उपाध्यक्ष, वा. वि. प्रा., सचिव वा. वि. प्रा., अधीक्षण अभियंता वा. वि. प्रा., परियोजना निदेशक एनएचएलएमएल एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग' किया गया। ज्ञातत्व है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से वाराणसी नगर में आम जन मानस के आवागमन हेतु 'सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के अंतर्गत भारत के प्रथम रोप-वे की स्थापना' प्रमोटर नेशनल हाइवे लाजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा मे. विश्व समुद्र इंजीनेयरिंग प्रा. लिमिटेड व एमएस बार्थोलेट मास्चिनेंबाउ एजी (स्विट्जरलैंड आधारित कंपनी)के संयुक्त व्ध्ड के माध्यम से की जा रही है।